



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

DEFENCE R&D ORGANISATION

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर

MARATHAHALLI COLONY P.O.

BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1112**

मद/FOR ITEM: लेड ऑसिड एयरक्राफ्ट बैटरी टाइप 12 सीएएम 28-एमटीई

**Lead Acid Aircraft Battery Type 12 CAM 28-MTE**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स मैक्रोटेक्स, मैसूर थर्मो इलेक्ट्रिक (पी) लिमिटेड, सं.36, 4 मेइन, 3 फेस, पीन्या इंडस्ट्रियल एरिया, बंगलोर-560 058 द्वारा विकसित तथा उत्पादित "लेड ऑसिड एयरक्राफ्ट बैटरी" टाइप 24वी-28एएच(5 एचआर रेट), पार्ट सं.12 सीएएम 28-एमटीई, एमआई-8/एमआई-17 हेलिकाप्टर्स में उपयोग के लिए आरेखन सं.डी 012-एएफ/94-95 रिविशन(सी) के अनुसार उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(वायुयान), बंगलोर-560037 के समन्वय से विनिर्देश सं. (i) डीटीडीएण्डपी(एआईआर)/ईएण्डआई/507 इश्यू 1 दिनांक जून 1987, और संशोधन सं.1; (ii) डीटीडीएण्डपी(एआईआर)/ईएण्डआई/507/1 इश्यू सं.1, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "वर्गरिकार्ड कम्प्लायंस स्टेटमेंट" में विवरित परीक्षण सम्बंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the "Lead Acid Aircraft Battery" Type-24V-28AH (5 Hr rate) bearing the Part No. 12 CAM 28-MTE developed & manufactured by MICROTEX, M/s Mysore Thermo Electric (P) Ltd., No. 36, 4<sup>th</sup> Main, 3<sup>rd</sup> Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058 is hereby approved for production as per drawing No. D 012 - AF / 94 - 95 Rev(C), for use on Mi-8/Mi-17 Helicopters. It has been tested as per specification No. (i) DTD&P (AIR)/E&I/507 Issue 1 dated June 1987, & Amendment No.1; (ii) DTD & P(Air)/E&I/507/1/Issue No.1 in co-ordination with RCMA (Aircraft), Bangalore-560037. It has met the requirements of the tests, as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix - "A"*

2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

*The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2009 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(वायुयान), बंगलोर - 560 037 से अनुरोध करना होगा ।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2009 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Aircraft), Bangalore 560 037, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1112

दिनांक/Date : 14.3 . 2005

फैक्स सं/fax No: 080-5230856

*kwis*  
(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)

*23/11/05*